



2026:AHC: 2409

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19503 वर्ष 2025

विजय कीर्ति भारती

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

|                             |   |                                         |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------|
| याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता | : | अस्तित्व श्रीवास्तव, सस्मिता श्रीवास्तव |
| प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता   | : | सी.एस.सी.                               |

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार**

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अस्तित्व श्रीवास्तव के पक्ष में बहस कर रहे श्री पंकज श्रीवास्तव (ए.ओ.आर. संख्या A/P0046/2012) और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता के पिता, जो वर्ष 2008 से रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत थे, की सेवा काल के दौरान 30.07.2022 को मृत्यु हो गई। रिट याचिकाकर्ता पुत्र होने का दावा करते हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतिवादियों से संपर्क किया है, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का न्यायनिर्णयन प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है और रिट याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 3 आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर पात्रता, उपयुक्तता या प्रतिस्पर्धी दावों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।